विचार बिन्दु

अपमान का डर कानून के डर से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। –प्रेमचंद

सार्थक हस्तक्षेप के लिए हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में बोलने, विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति के नाम पर शोरगुल चिंतनीय है। बहुतेरी बार यह भी लगता है, अपनी स्थापनाओं के लिए, अपने आप को प्रचारित-प्रसारित करने भर के लिए ही बहुत कुछ बगैर सोचे-समझे कहाँ, व्यक्त किया जा रहा है। किसी भी विचार का, व्यक्ति का या भावना का विरोध करना है, बस इसलिए ही बहुतेरी बार सक्रियता दिखाई देती है। पहले कोई कुछ भी कहता तो उसकी इस रूप में सुनवाई नहीं हो सकती थी कि मीडिया का प्रसार सीमित था। इस दौर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वेब मीडिया का जिस तेजी से प्रसार हुआ है और पल-पल की घटनाओं को दिखाने, प्रसारित करने की जो होड़ मीडिया में मच रही है, उसने भाषा और संवेदना में ही छीजत नहीं की है, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी तिरोहित किया है।

यह सही है, लोकतंत्र में आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है परन्तु याद रखें-असहमति का आधार और तर्क भी बताना होता है। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, यही लोकतंत्र की बड़ी ताकत है पर बात रखने की मर्यादा भी इसमें निहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निहितार्थ यह भी है कि आपकी यह स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करें।

'वाक् स्वतंत्रता' के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। उनको भी जो कुछ लिखते या नया सृजित कर अपने आपको व्यंजित करते हैं और उनको भी जो उसका विरोध करते हैं परन्तु जैसा कि पहले भी कहा गया है कि असहमति हो परन्तु उसके आधार भी स्पष्ट होने चाहिए। तमिल लेखक पेरुमल मुरूगन ने अपने विरोध के चलते कभी अपने आपको जिंदा मृत घोषित कर लेखन से संन्यास ले लिया था पर 'अभिव्यक्ति की आजादी' के चलते अपने आपको फिर से जिंदा होने की अनुभूति उन्होंने की। उनकी कविता की पंक्तियां पर गौर करें, 'एक फूल खिलता है/चटकने के बाद/तीव्र सुगंध/मधुर अभिव्यक्ति/फूल खिलेगा/स्थापित करेगा/सबकुछ।'

जेम्स स्टुअर्ट मिल का प्रसिद्ध कथन है कि 'मान लीजिए एक मनुष्य एक तरफ है और सारी मनुष्य जाति दूसरी तरफ है। तब भी सारी मानवता को, या मनुष्य जाति को, उस एक मनुष्य की आवाज दबा देने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे ही एक मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह अन्य सारे मनुष्यों को दबा सके, पर दबाने का अधिकार उसे नहीं है। यानी यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की पहली सीमा यही है कि अन्य व्यक्ति के वैसे अधिकार पर अतिक्रमण का आपको अधिकार नहीं है।

यहां इस बात को भी ध्यान में रखें जाने की जरूरत है कि अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। अधिकार का जन्म ही कर्तव्य की कोख से होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जाए, हमारे यहां न्यायालय ने दुराचार, बलात्कार, पीड़ित का फोटो और नाम जाहिर नहीं किए जाने के आदेश दे रखे है। इसके पीछे मानसिकता यही है कि उस व्यक्ति विशेष को मानहानी से बचाया जा सके। यानि मीडिया को समाचार प्रकाशित करने का अधिकार है परन्तु उसके इस अधिकार के तहत किसी दूसरे की मानहानी नहीं हो, यही न्यायालय के इस आदेश का निहितार्थ हैं। गांधीजी ने कभी कहा था, 'हर अधिकार का उपयोग शिष्टतापूर्वक और विश्वस्त भावना से करना चाहिए। तुम्हें जो अधिकार या क्षमता प्रदान की गयी है, वह तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, तुम उसके मालिक नहीं हो, सिर्फ ट्रस्टी हो। अधिकार का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो, यह तुम्हारा दायित्व है।'

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संसद की कार्यवाही या विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया में हूबहू प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसलिए कि वहां पर यदि कोई कार्यवाही सदन से हटा दी जाती है या अध्यक्ष द्वारा ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है कि वह कार्यवाही बाहर नहीं जाएगी तो उसे प्रकाशित-प्रसारित नहीं किया जा सकता।

वाक् स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार है और उसके मायने है- सार्थक हस्तक्षेप। उचित के पक्ष में हस्तक्षेप जरूरी है, यही आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर प्राय: पॉकेट कार्टून छपता है। गौर करेंगे तो पाएंगे- कार्टूनिस्ट समाज में, राजनीति में बल्कि व्यापक अर्थ में कहें तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कुछ हो रहा है उस पर रेखाओं से अपने तईं हस्तक्षेप करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह ऐसा उदाहरण है जिसमें प्राय: सार्थक हस्तक्षेप होता है। ऐसे ही किसी घटना विशेष पर समाचार पत्र संपादकीय प्रकाशित करता है, समाचार चैनल विश्लेषण देता है, यह सब वाक् स्वतंत्रता ही है। सोचिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो, केवल चुप्पी ही रहे तो क्या आजादी की हमारी मूल भावना कायम रह सकती है! दिनकर को याद करें। कभी उन्होंने लिखा था, 'जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराधा।' लोकतंत्र की जीवतंता सक्रिय हस्तक्षेप से ही है। पर ध्यान रखने की बात यह भी है कि अंतरात्मा की बात सुनें पर इस तरह से कि दूसरों को उसकी कीमत न चुकानी पड़े। हस्तक्षेप का अर्थ यह नहीं है कि आप बगैर किसी आधार के, अपने आपको स्थापित करने के लिए कुछ करें, कार्टून बनाए, कोई टीवी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। उन्मुक्तता हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप मनमानी नहीं है। हर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने आपको व्यक्त करने को बेचैन रहता है। ठीक है आप अपने आपको रोक नहीं सकते परन्तु व्यंजित अपने को करें तो मर्यादा का भी ध्यान रखें। जो कहें, व्यक्त करें उसमें मानवीय सूझ हो। विचार बांटे परन्तु उससे किसी दूसरे की गरिमा का हनन नहीं हो। कुछ कहें पर बगैर प्रमाण या किसी आधार को दृष्टिगत रखते हुए अपना मत रखें।

यह सही है, बोलने की आजादी जनोन्मुख चेतना की संवाहक है परन्तु इसका बेजा इस्तेमाल बहुतेरी बार देश में उन्माद फैलाने का काम भी करता है। इसलिए इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि बोलने या विचारों को किसी भी रूप में व्यक्त करने की आपकी आजादी से दूसरा कोई आहत तो नहीं हो रहा है। प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही पूर्ण रूप से अपनी बात कहने, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है लेकिन परम स्वतंत्रता नहीं है। संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर का कहा यहां गौरतलब है। उन्होंने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि प्रेस को ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते जो आम नागरिक को प्राप्त नहीं हैं। प्रेस में संपादक, संवाददाता और लेखक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करते हैं। इस कारण से किसी विशेष उपबंध की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)ए में "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार" का उल्लेख है, लेकिन उसमें यह गौरतलब है कि शब्द 'प्रेस' का जिक्र नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए जरूरी है इसलिए निर्भय होकर इसका उपयोग किया जा सकता है परन्तु इसमें निहित जिस मर्यादा की अपेक्षा की गई है उसकी पालना भी जरूरी है।

लोकतंत्र में लोगों को जागरूक करने, की बात व्यापक स्तर तक पहुंचाने या कहें लोकतंत्र के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए प्रेस की आजादी जरूरी है। प्रेस के जरिए ही तमाम तरह की सूचनाएं निर्बाध आम जन तक पहुंचती है, इसीलिए प्रेस की आजादी को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी माना गया है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि विधायिका को प्राप्त विशेषाधिकार का प्रेस हनन नहीं करें। संसद और विधानसभाओं में सदनों, की शक्तियों को और उनके सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 में संसद और 194 के अंतर्गत विधान मंडलों के विशेष अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 105(3) में संसद की शक्तियों 194(3) में विधायकों के शक्तियों (विशेषाधिकार) को बताया गया है। देश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और बाद में भारत के उपराष्ट्रपति (सभापति) बने न्यायमूर्ति एम.हिदायतुल्ला ने संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में कहा है कि संसद को अपने विशेषाधिकारों का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है। विशेषाधिकारों का विस्तार क्या हो और इनका प्रयोग सदन के भीतर कब किया जाये ,इस बारे में भी अंतिम निर्णय संसद का ही होगा। इसके अंतर्गत अपनी अवमानना के लिए दोषी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार भी संसद को ही है।

विधायिका में किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती और सदन के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसद और विधानसभाओं, विधानमंडलों की रिपोर्टिंग के लिए विशेषाधिकार और आचार संहिता की पालना जरूरी है। इसे इस रूप में भी समझें कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संसद की कार्यवाही या विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया में हूबहू प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसलिए कि वहां पर यदि कोई कार्यवाही सदन से हटा दी जाती है या अध्यक्ष द्वारा ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है कि वह कार्यवाही बाहर नहीं जाएगी तो उसे प्रकाशित-प्रसारित नहीं किया जा सकता।

-अतिथि संपादक
डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि, कला आलोचक

रजोसंत्रास में अपराध

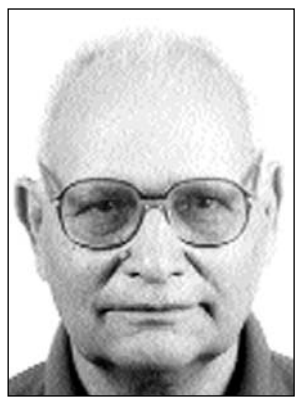

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

एक महिला के जीवन में अंत:स्रावित हॉर्मोन्स बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। पुरुष की तुलना में कहीं अधिक और गंभीर। शारीरिक प्रभाव के साथ-साथ वे मन-मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। जीवन के दो संधिकाल - रजोआवृत्ति और रजोनिवृत्ति के अवसरों पर तो इनके प्रभाव से बड़े व्यापक बदलाव आते हैं, सोच, विचार, स्वभाव और प्रवृत्ति, सब बदल जाते हैं। घटती-बढ़ती चन्द्रकलाओं की तरह महिलाओं में मासिक चक्र के भी शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में जब स्त्री बीज (ओवम) परिपक्व हो रहा होता है तो ईस्ट्रोजन, और उसके परिपक्व होकर निकलने पर दूसरा हॉर्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं। ये महिला के जननांगों पर चिरपरिचित प्रभाव के साथ ही उसके मन-मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। सामन्यतया ये प्रभाव संतुलित होते हैं और विशेष रूप से प्रतिलक्षित नहीं होते, तो भी जीवन शैली के अभिन्न अंग होते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में मासिक चक्र के दूसरे पक्ष में मासिक-पूर्व होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव एक विकार का रूप ले लेते हैं। इसे प्रीमेन्सट्रुअल सिन्ड्रोम कहते हैं जिसमें आफरा, सूजन, स्तनों में दर्द, चिड़चिड़ापन, असहनशीलता, तुनकमिजाजी, अवसाद, बात-बेबात रोना, गुस्सा आदि होते हैं। हाल में हुए अनुसंधान से मालूम हुआ है कि कुछ महिलाएँ तो इस चक्र में आक्रामक हो जाती हैं, आपा खो बैठती हैं, स्वयं को या दूसरों को चोट पहुँचाती हैं।आत्मघात की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदाकदा अपराध भी कर बैठती हैं।

ऐसी ही एक महिला अपनी झगड़ालू प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। बिल्डिंग के फ्लेट्स और आस-पड़ोस में अनेक से झगड़ा कर चुकी है। उसके पति बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। उनका सब मान और लिहाज करते हैं। वैसे महिला भी शांत स्वभाव की है लेकिन रह-रह कर जैसे चंडीपन का दौरा पड़ता हो। एक बार पड़ोस में काम करने वाली बाई को जख्मी कर दिया था। दूसरी बार एक काम करने वाले छोटे लड़के का सर लिफ्ट में दे मारा था। पति ने ले-दे कर, माफी और राजीनामा कर केस रफा-दफा किया था। इस बार तो हद हो गई। पड़ोसन से झगड़ा हुआ। लोगों ने बीच बचाव किया, घर आ गई। किचन में गई काम करने लगी। सब्जी साफ करने को चाकू उठाया, सब्जी छोड़ पलटी, पड़ोसन के घर गई और उसकी बाँह में चाकू दे मारा। वापस पलटी और किचन में आकर चाकू रखा और वहीं बैठ गई। हंगामा हुआ, पुलिस आई तब भी वैसे ही बैठी रही। पुलिस ने रक्तरंजित चाकू कब्जे में लिया। पूछा चाकू मारा? जवाब दिया - हाँ। क्यों मारा - मालूम नहीं। पुलिस थाने में अपने पति से भी कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मालूम नहीं ऐसा कैसे हो गया। हर बार ऐसी वारदात के दूसरे या तीसरे दिन पति को ठाकुरजी की पूजा करनी पड़ती थी, कारण मासिक के दौरान वह पूजा नहीं करती थी।

महिला प्रीमेन्सट्रुअल सिन्ड्रोम से ग्रसित थी। इसके वशीभूत आपा खो बैठती थी। अल्पकालिक पागलपन सवार हो जाता था। विदेशों में कुछ में न्यायालयों ने इसे टेम्पोरेरी इनसेनिटी (अल्पकालिक पागलपन), डिफेन्स के लिए माना है, वह भी अपराध की संगीनता कम आँकने के लिए, सर्वथा बरी करने के लिए नहीं।हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायानय ने सजायाफता एक महिला को अपने भतीजे को कुअें मे धकेल कर हत्या करने के आरोप से, प्रीमेन्सट्रुअल सिन्ड्रोम का संज्ञान लेकर उसे बरी किया है।

–डॉ. श्रीगोपाल काबरा,
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

अधर झूल में अर्थव्यवस्था

डॉ. रामावतार शर्मा

जब भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के सामने 60 से 65 प्रति डॉलर हुआ करता था तब भारत ने एलान किया था कि वह पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तब से अब एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि रुपया एक डॉलर के एवज में 80 को पार कर रहा है यानि रुपए के हिसाब से पांच ट्रिलियन डॉलर पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा लक्ष्य हो गया है। भारत के कई नीतिगत फैसले समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि धन का प्रवाह गिने-चुने दायरे में ही हो रहा है। आम नागरिक की आर्थिक क्षमता कमजोर पड़ गई है जिसके कारण बाजार में उत्पादों का उठाव धीमा पड़ गया है। इसके अलावा भारत का रोकड़ा घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट) वित्तीय वर्ष 2021 के 0.9 से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2022 में 1.2 प्रतिशत हो गया है। किसी भी देश के करंट अकाउंट डेफिसिट (रोकड़ा घाटा) का बढना अच्छा नहीं होता है और भारत इस मामले में किसी बेहतर स्थिति में नहीं है। भारत का यह ताजा घाटा अभी 13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यह इस बात के बावजूद है कि भारत सरकार ने आयात पर तरह तरह की रुकावटें लगा कर रखी हैं।

अभी पिछले दिनों सरकार ने सोने के आयात पर कर लगाया। इस यकायक लगाए कर के पीछे सरकार की मंशा डॉलर को बाहर जाने से रोकना है वरना रुपया और लुढ़क जायेगा। इसी प्रकार रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी समय से पहले अचानक रेपो दर में वृद्धि कर दी ताकि मुद्रास्फीति और रुपए के अवमूल्यन पर लगाम लगाई जा सके। आगे चलकर नियमित समय पर फिर रेपो दर को बढ़ाया गया पर अभी तक तो इन प्रयासों के कोई बड़े सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। आज के समय हर तरफ मुद्रास्फीति एवम् महंगाई की मार है, विकास दर गायब- सी हो गई है या फिर चंद क्षेत्रों में सिमट गई है। इन सबके अलावा मंदी के बादल गहराने लगे हैं।

खुदरा मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत की लक्ष्मण रेखा को तोड़ चुकी है। उधर अमेरिका में महंगाई दर चालीस साल में सबसे ज्यादा है। तकरीबन सारे विश्व में महंगाई महामारी की तरह फैल गई है। भारत की जी डी पी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है पर यह इसके नीचे भी जा सकती है क्योंकि महंगाई एक बड़ी बाधा बन गई है। महंगाई कम करने के लिए यदि ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो मांग में बड़ी कमी आ जाएगी क्योंकि लोगों के पास धन की तरलता कम है, रोजगार सीमित हो गए हैं, पैसा गिने-चुने लोगों के हाथों में चला गया है। व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं कम होने से लोग अपने धन को खर्च नहीं कर रहे हैं।

विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर को नीचे की तरफ जाते हुए दर्शाया है क्योंकि अर्थव्यवस्था अपना जोश खो चुकी है। सरकार के दावों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है क्योंकि पूरी केंद्र सरकार हर समय चुनावी मूड में रहती है। वित्त मंत्री न तो कोई प्रेस कांफ्रेंस करती हैं और ना ही बजट के अलावा अपने अस्तित्व का अहसास करवाती है। भारत के वित्त सचिव का लोग नाम तक नहीं जानते हैं। ऐसे अपारदर्शी प्रशासन पर भला विश्वास कैसे पैदा हो? कृषि विकास दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ रही है जो कि इसका उच्चतम संभव स्तर है, इसके और अधिक बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। उत्पादन उद्योग में मंदी एक बड़ा दर्द है जिसके और लंबे समय तक चलने की संभावना है। अमेरिका और यूरोप में मांग घटने के कारण हर समय साथ देने वाला आईटी उद्योग भी इस बार ढीला पड़ता जा रहा है। इस बात को ताजा तिमाही के दिग्गज आईटी कंपनियों के परिणाम इंगित कर रहे हैं। भारत की एक अहम समस्या रुपए का लगातार कमजोर बना रहना है। भारत अपना 85 प्रतिशत कच्चा तेल और 60 प्रतिशत खाने का तेल आयात करता है और इसका कोई विकल्प निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से कमजोर रुपए के कारण आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है तथा वैश्विक मंदी की वजह से निर्यात बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि भारत कोई अति आवश्यक सामान तो बनाता नहीं है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बड़ी मात्रा में भारत से अपना पैसा निकाला है, ज्यादातर विदेशी कंपनियां निराश हो कर भारत से वापस चली गई हैं, भारत के लाखों धनी लोग अपना पैसा लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड निकल गए हैं। उद्योगों में लगने वाले अति विशिष्ट और संवेदी पुर्जे हमें आयात ही करने पड़ते हैं। मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत की तरह ही भुला दिया गया है। इन सब कारणों से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खतरे में है।

हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना होगी कि जब तक और जितने अधिक समय तक कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था उभर नहीं पाएगी। अर्थव्यवस्था बातों, नारेबाजी और हुंकार भरने से नहीं चलती है। यहां संपदा चाहिए, उत्पादन चाहिए और बैंकों में रोकड़ा चाहिए। भारत सरकार ने कोई तीन लाख करोड़ की सब्सिडी विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषित की है पर पैसा कहां से आएगा इसका कोई ब्योरा नहीं दिया है। यही सब कारण हैं कि अपनी ही बात को झुठला कर सरकार ने आटे, दाल, छाछ, दूध आदि पर जीएसटी लगाई है। जो सरकार कोई भी जनोपयोगी अस्पताल नहीं दे सकती वह बीमार लोगों पर अस्पताल में भर्ती होने पर टैक्स लगाने की हिम्मत कर रही है। बीमार व्यक्ति पर, फिर चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो, टैक्स लगाना कैसे वाजिब हो सकता है? वह व्यक्ति पहले ही तीस प्रतिशत आयकर देकर आया है। यदि हम एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं तो हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। मूर्तियों के शेरों के दांतों से आर्थिक जगत में शिकार नहीं किया जाता है, वहां एक योजना और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अधर में लटकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरियां हमारे लिए हमारी समस्याओं से बच निकलने का बहाना नहीं हो सकती हैं। भारत को कुछ नया सोचना ही नहीं, नया करना भी होगा वरना सपनों में भी अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं।

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

बीटी कपास में रस चूसने वाले कीड़ों, हरा तैला और थ्रिप्स का प्रकोप

श्रीगंगानगर, (निसं)। गत 7-8 दिनों से लगातार बादलवाही रहने व बरसात होने के कारण नमी बढ़ने के साथ-साथ बीटी कपास व अन्य खरीफ फसलों में रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना बढ़ी है।

कृषि विभाग के उपनिदेशक संयुक्त निदेशकी जी.आर.मटोरिया ने बताया कि इस हेतु रेपिड रोविंग सर्वे के माध्यम से कृषकों को कीट रोग के प्रकोप की सघनता एवं समय पर नियंत्राण के प्रभावी उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे उत्पादन में होने वाली कमी से बचा जा सकता है। उक्त उदेश्य की पूर्ति हेतु रेपिड रोविंग सर्वे टीम केशव कालीराना, सहायक निदेशक कृषि (पौ0सं0) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड, श्रीगंगानगर के द्वारा गत दिवस को कालूवाला, बनवाली, बुधरवाली, सादुलशहर, करडवाला, मन्नीवाली, लालगढ़ आदि क्षेत्रों में खरीफ फसलों का सर्वे किया गया तथा जिले के अन्य क्षेत्रों के फील्ड स्टाफ से फीडबैक भी लिया गया। सर्वे में बीटी कपास के खेतों में रस चूसने वाले कीड़ों में सफेद मक्खी, जेसिड (हरा तैला), थ्रिप्स का प्रकोप देखा गया। उन्होंने बताया कि बीटी कपास के खेतों में सफेद मक्खी का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक देखा गया, जिसमें लार्वा और व्यस्क पौधों से रस चूसते है तथा पत्तियों की निचली सतह पर शिराओं के पास हनीडयू छोड़ते है तथा पत्तियां विकृत होकर घुमावदार प्याले के आकार की हो जाती है। सफेद मक्खी लीफ कर्ल वायरस जैसे विषाणु फैलाती है। थ्रीप्स द्वारा पत्तियों के निचली सतह पर शिराओं के पास कीट द्वारा रस चूस कर हानि पहुंचाई जाती है। जैसिड (हरा तैला) के अव्यस्क कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और रंग पीला हो जाता है। अत: क्षेत्र के कृषकों को सलाह दी जाती है कि नियमति रूप से खेत का निरीक्षण करे तथा आर्थिक हानि स्तर (ईटीएल) सफेद मक्खी के लिए 8-10 व्यस्क अथवा 20 निम्फ प्रति पत्ती थ्रिप्स के लिए 10 थ्रिप्स प्रति पत्ती से अधिक संख्या होने पर रस चूसने वाले कीटों के नियंत्राण हेतु नीम आधारित जैव कीटनाशी 5 एमएल/लीटर, इमिडाक्लोप्रिड 200 प्रतिशत एस.एल. 0.3 मिली/लीटर पानी, थायोमेथोग्जाम 25 प्रतिशत डबूयू.जी. 0.5 ग्राम/लीटर पानी, डाईफेन्थूरान 50 प्रतिशत डबूयू पी 2 ग्राम/लीटर पानी, स्पाईरोमैसिफेन 22.90 प्रतिशत एस.सी. 1.20 मिली./लीटर पानी, फ्लोनिकामिड 50 प्रतिशत डबूयू.जी. 0.30 ग्राम/लीटर पानी में से किसी एक रसायन का छिड़काव कर सकते है। दो या दो से अधिक कीटनाशक दवाओ का मिलाकर या अन्य असंस्तुत कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। खेत में पर्याप्त नमी होने की दशा में ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें।

सांभर में गिरने के कगार पर जर्जर हवेलियां

सांभरझील, (निसं)। सांभर में जर्जर हवेलियां गिरने के कगार पर हैं। यहां वार्ड 22, चौधरियों की गली, भोजशाला के पास जर्जर हवेलियां झुक कर आपस में मिल गई है। इसी वार्ड में 3 और खंडहर हवेली हैं जिनसे हमेशा हादसे का अंदेशा रहता है। यह दोनों हवेलियां इस कदर आपस में झुक गई है कि उनके छज्जे एक दूसरे से टकरा गए हैं। यहां की पार्षद ज्योति कुमावत

■ हवेलियां इस कदर आपस में झुक गई हैं कि उनके छज्जे एक-दूसरे से टकरा गए हैं

को वार्ड वासियों द्वारा लिखकर इन हवेलियों को गिराने का अनुरोध किया है। पार्षद ज्योति कुमावत ने बताया कि उनकी तरफ से अनेक दफा नगर पालिका प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया जा चुका है। लंबे समय से इन खंडहर हवेलियों को गिराने का इंतजार बना हुआ है। जानकारी में आया है कि इनमें से एक हवेली के मालिक को पालिका की ओर से सूचना भी दी गई है। बारिश का मौसम है ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सांभर में भोजनशाला के पास जर्जर अवस्था में झुकी दो हवेलियां।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 23 जुलाई, 2022

सावन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2079, कृत्तिका नक्षत्र सांय 7:03 तक, गंड योग दिन 1:07 तक, विष्टि करण दिन 11:28 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरू-मीन, शुक्र-मिथुन, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 7:03 से सूर्योदय तक है। महापात योग प्रात: 8:00 तक है। आज बेर पूजा (त्रिपुरा) है। आज भद्रा दिन 11:28 तक है। आज से राष्ट्रीय सावन मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:31 से 9:12 तक, चर 12:33 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:14 से 5:35 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16

मेष
आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मन:स्थिति में सुधार होगा। परिवार में हर्षोल्लास-प्रसन्नता का माहौल रहेगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। समय खराब होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यावसायिक अड़चनें अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।